

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //


क्रमांक C/2088 /

जबलपुर, दिनांक 06 / 03 / 2025

II-14-43/92

श्रीमती प्रीति गाडे, ए.ओ. (जे), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ग्वालियर के अभ्यावेदन को सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार करते हुए उन्हें दिनांक 10.06.2023 से 16.06.2023 तक 7 दिन एवं दिनांक 30.06.2023 से 14.07.2023 तक 15 दिन (कुल 22 दिन) का असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave) स्वीकृत किया जाता है साथ ही चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में ऐसा आचरण न दोहराया जाए अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

  
(धरमिन्दर सिंह)  
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक C/2089 /

जबलपुर, दिनांक 06 / 03 / 2025

II-14-43/92

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 3152/स्था. ग्वालियर, दिनांक 26/06/2024 के संदर्भ में श्रीमती प्रीति गाडे, ए.ओ. (जे), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर का अभ्यावेदन आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2024 एवं दिनांक 12.06.2024 को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)